गांधी स्मारक निधि का मासिक मुखपत्र

संस्थाकुल

अक्टूबर, 2023   वर्ष – 54   अंक – 7

वार्षिक सहयोग राशि : रु. 20.00
एक प्रति : रु. 2.00
कुल पृष्ठ : 12

स्वराज्य का अर्थ : जनता का शासन

महात्मा गांधी

(मेरे लेखों का मेहनत से अध्ययन करनेवालों और उनमें दलचस्पी लेने वालों से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे हमेशा एक ही रूप में दिखाई देने की कोई परवाह नहीं है। सत्य की अपनी खोज में मैंने बहुत से विचारों को छोड़ा है। और अनेक नई बातें मैं सीखा भी हूं। उमर में भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आन्तरिक विकास होना बन्द हो गया है या देह छूटने के बाद मेरा विकास बन्द हो जायगा। मुझे एक ही बात की चिन्ता है, और वह है प्रतिक्षण सत्य–नारायण की वाणी का अनुसरण करने की मेरी तत्परता। इसलिए जब किसी पाठक को मेरे दो लेखों में विरोध जैसा लगे, तब अगर उसे मेरी समझदारी में विश्वास हो तो वह एक ही विषय पर लिखे दो लेखों में से मेरे बाद के लेख को प्रमाणभूत माने।

हरिजन बन्धु, 30–4–'33)

स्वराज्य की रक्षा केवल वहीं हो सकती है, जहां देशवासियों की ज्यादा बड़ी संख्या ऐसे वफादार देशभक्त लोगों की हो, जिनके लिए दूसरी सब चीजों से – अपने निजी लाभ से भी – देश की भलाई का ज्यादा महत्त्व हो। **स्वराज्य का अर्थ है देश की बहुसंख्यक जनता का शासन।** स्पष्ट है कि जहां बहुसंख्यक जनता नीति भ्रष्ट या स्वार्थी हो, वहां उनकी सरकार अराजकता की ही स्थिति पैदा कर सकती है, दूसरा कुछ नहीं।

यंग इंडिया, 28–7–'21; पृ० 238

2 अक्टूबर : अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस
राष्ट्रपिता बापू को शत्–शत् नमन!

स्वराज्य से मेरा अभिप्राय है लोक–सम्मति के अनुसार होनेवाला भारतवर्ष का शासन। लोक–सम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों की बड़ी से बड़ी संख्या के मत के द्वारा होगा, फिर वे स्त्रियां हों या पुरुष, इसी देश के हों या इस देश में आकर बस गये हों। वे लोग ऐसे होने चाहिये जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा लिया हो। . . . **सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो उस समय सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करने से हासिल किया जा सकता है।** दूसरे शब्दों में, स्वराज्य जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर अधिकार करने और उसका नियमन करने की क्षमता उसमें है।

हिन्दी नवजीवन, 29–1–'25; पृ० 198

मेरे सपने का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही आपको भी सुलभ होनी चाहिये। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास उनके जैसे महल होने चाहिये। सुखी जीवन के लिए

महलों की कोई आवश्यकता नहीं। हमें महलों में रख दिया जाये तो हम घबड़ा जायें। लेकिन आपको जीवन की वे सामान्य सुविधायें अवश्य मिलनी चाहिये, जिनका उपभोग अमीर आदमी करता है। मुझे इस बात में बिलकुल भी सन्देह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा, जब तक वह आपको ये सारी सुविधायें देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।

यंग इंडिया, 26–3–'31; पृ० 46–47

स्वराज्य का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए सतत प्रयत्न करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज्य हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिए सरकार का मुंह ताकने लगें, तो वह स्वराज्य सरकार किसी काम की नहीं होगी।

यंग इंडिया, 6–8–'25; पृ० 276

स्वराज्य पूर्णतया निर्भर करता है हमारी आन्तरिक शक्ति पर, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से जूझने की हमारी ताकत पर। सच पूछिये तो वह स्वराज्य, जिसे पाने के लिए अनवरत प्रयत्न और जिसकी रक्षा के लिए सतत जाग्रति आवश्यक न हो, स्वराज्य कहालाने के लायक ही नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने वचन और कार्य से यह दिखलाने की कोशिश की है कि स्त्री–पुरुषों के विशाल समूह का राजनीतिक स्वराज्य एक एक व्यक्ति के अलग–अलग स्वराज्य से कोई ज्यादा अच्छी वस्तु नहीं है, और इसलिए उसे पाने का साधन वही है जो प्रत्येक व्यक्ति के आत्म–स्वराज्य या आत्म–संयम का है।

हिन्दी नवजीवन, 8–12–'27; पृ० 126

मनुष्य की बनाई हुई कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, जिसके अपने खतरे न हों। संस्था जितनी बड़ी होगी, उसके दुरुपयोग की संभावनायें भी उतनी ही बड़ी होंगी। लोकतंत्र एक बड़ी संस्था है, इसलिए उसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसका इलाज लोकतंत्र से बचना नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग की संभावना को कम–से–कम बनाना है।

यंग इंडिया, 7–5–'31; पृ० 99

प्रजातंत्र का सार ही यह है कि उसमें हर एक व्यक्ति ऐसे सारे विविध स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनसे राष्ट्र बनता है। यह सच है कि इसका मतलब विशेष स्वार्थों के विशेष प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने से रोक देना नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ऐसा प्रतिनिधित्व उसकी कसौटी नहीं है। यह उसकी अपूर्णता की एक निशानी है।

हरिजनसेवक, 22–4–'39; पृ० 77

सच्चा लोकतन्त्र या जन–साधारण का स्वराज्य असत्य और हिंसापूर्ण उपायों से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इसका सीधा कारण यह है कि इनको काम में लेने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि विरोधियों का दमन या विनाश करके सारा विरोध हटा दिया जायगा। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पनप नहीं सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता विशुद्ध अहिंसा के शासन में ही पूरी तरह काम कर सकती है।

हरिजन, 27–5–'39; पृ० 143

मैं इस कल्पना को बिलकुल गलत मानता हूं कि बहुत से प्रतिनिधियों से काम अधिक अच्छा होता है अथवा जनतंत्र की अधिक रक्षा होती है। ये पन्द्रह सौ प्रतिनिधि उदारमन वाले, जनता के अधिकारों की रक्षा करनेवाले और प्रामाणिक हों, तो वे छह हजार निरंकुश प्रतिनिधियों की अपेक्षा जनतंत्र की अधिक अच्छी रक्षा करेंगे। जनतंत्र की रक्षा के लिए जनता में स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की और एकता की भावना होनी चाहिये और अच्छे तथा सच्चे प्रतिनिधियों को ही चुनने का आग्रह रहना चाहिये।

आत्मकथा, पृ० 430; 1957

मैं वयस्क मताधिकार का हिमायती हूं। . . . वयस्क मताधिकार अनेक कारणों से जरूरी है। और उसके पक्ष में जो निर्णायक कारण दिये जा सकते हैं, उनमें से एक यह है कि वह मुझे न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि तथाकथित अस्पृश्यों, ईसाइयों और सभी वर्गों के मेहनत–मजदूरी करके रोजी कमानेवाले लोगों की उचित आकांक्षाओं को संतुष्ट करने का सामर्थ्य देता है। मैं इस विचार को बरदाश्त ही नहीं कर सकता कि ऐसे किसी आदमी को, जो चरित्रवान है किन्तु जिसके पास धन या अक्षरज्ञान नहीं है, मताधिकार न दिया जाय; अथवा कोई आदमी, जो ईमानदारी के साथ शरीर–श्रम करके अपनी रोजी कमाता है, केवल गरीब होने के गुनाह के कारण मताधिकार से वंचित रहे।

यंग इंडिया, 8–10–'31; पृ० 297

क्या भारत में एक नव उपनिवेश का सृजन हो रहा है ?

रामचन्द्र राही

प्रश्न है कि चाहे दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन हो और चाहे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो; क्यों महात्मा गांधी को सत्याग्रह की तलाश करनी पड़ी ? और वह सत्याग्रह है क्या ?

जब दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें गाड़ी से बाहर डाल दिया गया तो रात भर उन्होंने चिंतन किया। क्या परिस्थिति से समझौता कर, जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में, अपने लिए एक सुविधा का मार्ग निकाल लें या इसके मूल कारणों में जाएं ? मूल कारणों में गए तो उन्हें नस्लवादी, अपने से कमजोर लोगों को दबाती–कुचलती हुई, एक क्रूर व्यवस्था दिखाई दी। और इसकी पूरी व्याख्या–विश्लेषण के बाद सवेरे उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, इस अन्यायी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना है। यह अन्यायी व्यवस्था क्या है ? उसकी ताकत क्या है ? 'ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस' की ताकत है, 'लीगलाइज्ड वायलेंस' की ताकत; यह उनके सामने आया। इससे लड़ेंगे कैसे ? क्या एक समानांतर आर्मी खड़ी करेंगे ? पैरेलल सत्ता का केंद खड़ा करेंगे ? वह सम्भव नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। तब, फिर इस आतंक से, इस नस्लवादी क्रूर व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा।

उस तलाश में एक 'रियलाइजेशन' गांधी को यह हुआ कि हम क्यों गुलामी को ढो रहे हैं ? ये सारे लोग जो यहां रहते हैं, गुलामी को क्यों ढो रहे हैं ? क्योंकि भयभीत हैं। अगर कंधे पर से गुलामी का जुआ उतारकर फेंकने की कोशिश करेंगे, तो हमारे ऊपर मार पड़ेगी। हमें जेल में डाला जाएगा। हमें सताया जाएगा। हमको जीने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। गांधी का सत्याग्रह यहीं से शुरू होता है। मनुष्य के अंदर जो आतंक है, भय है, उससे मुक्ति का प्रशिक्षण देना शुरू करो। दक्षिण अफ्रीका में पहला जो लांग मार्च हुआ था अन्यायी व्यवस्था के विरोध में, उस लांग मार्च में गांधी केवल नेता नहीं थे, वे नेता तो थे, मार्गदर्शक भी थे, साथी भी थे, मित्र और सेवक भी थे। और, किन लोगों को ले करके चले थे ? जो बीड़ी पीते थे, मजदूरी करते थे, खाने–पीने की चीजों के लिए झगड़ते थे। ऐसे लोगों को साथ लेकर सत्याग्रही लोकशक्ति के निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। उन्हें सत्याग्रही बनाने का अभियान शुरू किया था।

एक 'रियलाइजेशन' उस दौर में उन्हें हुआ कि असत्य से अगर लड़ना है तो सत्य का आधार चाहिए। अगर 'आर्गनाइज्ड वायलेंस' से लड़ना है तो हिंसा नहीं, अहिंसा की शक्ति चाहिए। अगर मरने का भय निकल जाए, अगर गुलामी के जुए को उतार फेंकने का साहस और निर्भयता आ जाए, तो सत्याग्रह की शक्ति अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ने के लायक हो जाएगी। इसकी तैयारी दक्षिण अफ्रीका में की थी उन्होंने।

और, चंपारण में जब आते हैं तो वहां क्या देखते हैं ? थोड़े से अंग्रेज, मुट्ठी भर! एक साम्राज्य, जो गलत मूल्यों पर जबरदस्ती स्थापित है इस देश में, लोग उसके आतंक में जी रहे हैं। पुलिस के लोग हमारे, देश हमारा, लेकिन कानून उनका, डंडा उनका। हमारे ही लोगों पर हमारे ही लोगों द्वारा डंडे बरसाये जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत यहां से की। पहली घटना हुई और सरकारी हुक्म आया, 'आप इस क्षेत्र को छोड़कर के चले जाइए।' गांधी ने कहा, 'नहीं जाएंगे।' कहा, 'सजा मिलेगी।' कहा, 'दे दो। हम तुम्हारी अन्यायी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। क्या करोगे ? जेल में डालोगे, पुलिस से मरवाओगे, हम फिर भी डरेंगे नहीं!' सत्याग्रह के इस प्रयोग में उस महात्मा गांधी ने, जो सत्याग्रह का प्रयोगकार था, स्वयं को सामने रखकर सत्याग्रही शक्ति के विकास को आगे बढ़ाया।

अहिंसा की लड़ाई में नायक पहली कतार में होता है, यह उन्होंने सिद्ध किया। भयभीत, भयाक्रांत लोगों के बीच साहस का संचार किया। और, चंपारण सत्याग्रह की नयी

शक्ति के विकास का एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

आजादी की लड़ाई में, 20–25 सालों के गांधी के नेतृत्व के कारण इस देश में साम्राज्यवादी मूल्य क्षीण हुए थे। एक नई अवधारणा देश में नए लोगों की आंखों में पल रही थी कि हमारा एक आजाद मुल्क होगा। आजाद मुल्क माने मुट्ठी भर कॉरपारेट के द्वारा लूटने की आजादी नहीं, मुट्ठी भर सत्ता प्राप्त लोगों के द्वारा कमजोरों को दबाने और मनमाने ढंग से शासन चलाने की आजादी नहीं, आजादी का मतलब, गांधी ने कहा था, **'गलत व्यवस्था का खुलकर प्रतिरोध करने की क्षमता जनता में आए!'** आजादी की बुनियाद ही यही है।

और आज हो क्या रहा है? इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

साम्राज्य से मुक्ति के प्रयास में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह केवल ब्रिटिश हुकूमत को हटाकर उसी हुकूमत को देशी लोग चलाने लगें, इसके लिए नहीं था। गांधीजी के 'हिंद स्वराज' में एक संदर्भ है। वे कहते हैं कि **"यदि आप सोचते हैं कि अमेरीका के रॉकफेलरों से हिन्दुस्तान के रॉकफेलर कुछ कम हैं, (तो) ऐसा मानना निरा अज्ञान है। उनको हटा देंगे और भारतीय यह काम करने लगेंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी, यह गलतफहमी मत पालिए। वह तो कम जानते हैं कि हमारी नसें कहां–कहां हैं जहां से खून निकाला जा सकता है, हमारे जो देशी रॉकफेलर होंगे, वह यहां की एक–एक नस से परिचित हैं कि कहां से खून निकाला जा सकता है।"**

मैं एक गुलाम देश में पैदा हुआ था। लेकिन हमारा परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल था। मेरे पिता जेल में थे, जब मैं पैदा हुआ। सांस ली आजादी में, संस्कार बना आजादी के बाद देश के नवनिर्माण की दृष्टि से गांधीजी द्वारा निर्देशित रचनात्मक काम करते–करते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह साम्राज्य, जिसे गांधी ने और इस देश की जनता ने अपने आत्मबल से, निर्भयता से, अन्याय को अस्वीकार करने की हिम्मत से हटा दिया था, वह पूरा सम्राज्य इस देश पर फिर से हावी हो रहा है। अर्थव्यवस्था को ही ले लीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था को आज कौन नियंत्रित कर रहा है ? देश की जनता के हित में विकास हो रहा है क्या ? पूरी इकॉनामी कॉरपोरेट के हित में खड़ी की जा रही है। अग्रेजों को हम कहते थे 'फूट डालो, राज करो' की नीति चलाते हैं और आज क्या हो रहा है ? समाज में जितने तरह के भेद खड़े किए जा सकें, खड़े किए जा रहे हैं। एक छल–प्रपंच का माहौल बनाया जा रहा है। अच्छी–अच्छी लच्छेदार बातें, एक खूबसूरत सा पर्दा, और पर्दे की आड़ में फिर से एक नई गुलामी की बुनियाद डाली जा रही है। देश में कितनी असहिष्णुता बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में! जो बात चलायी जा रही है उसके खिलाफ बोलें, तो मुंह बंद करने की तरह–तरह की साजिशें रची जा रही हैं। साम्राज्य का चरित्र यही होता है कमजोर का अधिकतम् 'एक्सप्लॉइटेशन', आतंक और भय की ताकत से।

गुमराह करने के जितने तरीके हो सकते हैं, कुप्रचार के जितने साधन हो सकते हैं, वे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मीडिया पूरी तरह से सरकार और पूंजी के नियंत्रण में है। और, दुनिया में एक नया फिनोमिना शुरू हुआ है पोस्ट ट्रूथ का। पोस्ट ट्रूथ यानी सत्य कुछ होता नहीं है, तथ्य कुछ होता नहीं है। आप चाहें तो टेक्नोलॉजी के बल पर, प्रचार–विज्ञापन के बल पर नायकत्व विकसित कर सकते हैं, इन माध्यमों से एक इलूजन क्रिएट कर सकते हैं। संगठित एवं कुशलतापूर्वक किए गए प्रयास से आप एक 'इल्यूजन' में जनता को ला सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपने हित में कर सकते हैं। आज देश में एक नवउपनिवेशवाद का सृजन हो रहा है। उस नवउपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए काम करना है। गांधी के सपनों के भारत के निर्माण की एक नई प्रेरणा, चेतना और आबोहवा बनानी है। एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे आजादी के सत्याग्रही मूल्य फिर से जीवन में दाखिल हों, ताकि यह जो अपने ही लोगों द्वारा निर्मित, अपने ही ऊपर थोपा जा रहा साम्राज्य है, उसका हम नाश कर सकें।

एक अजीब सी सनक पूरी दुनिया में खड़ी कर दी गई है कि वर्तमान विकास का विकल्प कुछ है ही नहीं, दुनिया में मात्र यही एक विकल्प है। इस विकास का फलित है➪

नाहक का नदी जोड़

भारत डोगरा

यदि जाने–माने विशेषज्ञों द्वारा किसी बड़ी नयी परियोजना के परिणाम बहुत हानिकारक होने की आशंका प्रकट की गई हो तो उचित समय पर रोक कर, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह पुनर्विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम–मात्र का कुछ समय के लिए रुक गए, अपितु पूरी पारदर्शिता व खुले मन से विभिन्न संभावित दुष्परिणामों की जांच होनी चाहिए। यदि वास्तव में दुष्परिणाम अधिक पाए गए तो ऐसी परियोजना पर अरबों रुपए और बर्बाद करने के स्थान पर इसे त्यागते हुए यह राशि जन–हित से जुड़े अन्य कार्यों, विशेषकर जल–संरक्षण के कार्यों पर खर्च करना चाहिए।

'केन–बेतवा लिंक परयोजना' एक ऐसी ही योजना है जो पहले से कई तरह की कठिनाइयों से गुजर रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बड़ी आपदा उपस्थित कर सकती है। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बुलाई गई इस आपदा के तहत बांध बनाकर एक नहर के माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाना है। इस तरह इसकी एक पूर्व निर्धारित अवधारणा है जिसके मुताबिक केन में अपनी जरूरत से अधिक पानी उपलब्ध है, हालांकि इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े अभी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

इस सोच को अनेक विशेषज्ञों व सरकारी पदों पर रह चुके पूर्व अधिकारियों ने अनुचित बताया है। केन क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को कृत्रिम तौर पर कम बताकर इसमें अतिरिक्त जल की सोच को किसी तरह स्थापित किया गया है जो उचित नहीं है। केन व उसकी कुछ सहायक नदियों में हाल के वर्षों में जिस तरह बहुत बड़े पैमाने पर अंधाधुंध बालू का खनन हुआ है उस कारण केन व उसकी सहायक नदियां स्वयं संकटग्रस्त हैं।

केन व बेतवा दोनों का बहाव क्षेत्र बहुत दूर नहीं है, दोनों यमुना में ही मिलती हैं, दोनों के क्षेत्रों में प्रायः एक समय ही अधिक या कम वर्षा होती है, अतः दोनों को जोड़ने से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। विशेषकर यह भी देखते हुए कि बेतवा क्षेत्र में जहां पानी की अधिक कमी है वहां इस परियोजना का पानी नहीं पहुंचेगा। वास्तव में यह केन–बेतवा, उत्तरप्रदेश या मध्यप्रदेश का सवाल है ही नहीं। चूंकि यह परियोजना अपने मूल रूप में ही बेबुनियाद व औचित्यवहीन है, अतः राष्ट्रीय संदर्भ में यह धन की बर्बादी ही है, जबकि सही जल–संरक्षण कार्यों के लिए धन उपलब्ध होना चाहिए।

इस परियोजना में लाखों पेड़ों का कटना व हजारों गांववासियों का विस्थापित होना तय है। अनेक वर्ष पहले

☞कि जितने पर्यावरण के केंद्र बिंदु हैं, स्रोत हैं, वे सब नष्ट हो रहे हैं। समाज के जितने कमजोर तबके के श्रमिक हैं, उत्पादक हैं, उनका अधिकतम शोषण हो रहा है विकास के नाम पर। सबसे अधिक लाइन में खड़े रहे तकलीफ भोगने वाले लोग थे विमुद्रीकरण के कारण; उन्हें समझा दिया गया कुशलता के साथ कि अमीरों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में लड़ रहे हैं! यह है पोस्ट ट्रूथ का नमूना। हम इन सब मुद्दों पर, बिंदुओं पर सोच–समझकर आगे कदम बढ़ाएं।

आज जिसे विकास कहा जा रहा है, और इस विकास–विकास की रट में ही सब कुछ केन्द्रित हो गया है, उसे गांधी ने पागल अंधी दौड़ कहा था, जो विकास नहीं, विनाश की तरफ ले जाती है। हमें सोचना होगा कि जो अन्यायी–शोषणकारी व्यवस्था हमारे मौलिक अधिकारों को, मनुष्य होने के हमारे अधिकारों को ही खतम करने की दिशा में बढ़ रही है, उससे कहां–कहां से, किन–किन बिंदुओं से, कौन सी शक्ति और ऊर्जा पैदा करके हम लड़ेंगे। केवल विरोध में बोल देना काफी नहीं होगा। हमें प्रतिकार और नवनिर्माण की ठोस बुनियाद कायम करनी होगी। समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों से, समाज की उन कमजोरियों से समाज को मुक्त कराने की दिशा में हमें काम करना होगा। तभी समाज में इस अन्यायी व्यवस्था से, यह जो एक नई साम्राज्यवादी व्यवस्था विकसित हो रही है, उससे लड़ने की ताकत पैदा होगी। ●

> सामान्य व्यक्ति का आत्मबल सदा ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्ति होता है। राजनीतिक स्वरूप उसी आत्मबल का एक स्थूल रूप है। सर्वसामान्य व्यक्ति के आत्मबल से भिन्न मैं किसी सरकार के रूप को नहीं मानता। इसीलिए मैं यह मानता हूं कि लोग वैसी ही सरकार पाते हैं, जिनके लायक वे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो स्व–राज्य स्व–प्रयत्न के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है। **— महात्मा गांधी**

के सरकारी तौर पर मान्य दस्तावेजों में 23 लाख पेड़ कटने की बात कहीं गई थी, पर उस समय छोटे पेड़ इसमें नहीं गिन गए थे। अब इनके भी बड़े होने से परियोजना में 30 लाख या उससे भी अधिक वृक्ष कटने की संभावना है।

पन्ना के टाईगर रिजर्व, घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र आदि में वन्य जीवों के लिए स्थिति बहुत अस्त–व्यस्त हो जाएगी, आरक्षित क्षेत्र विभाजित हो जाएगा व जल–जीवों के लिए पानी की कमी होगी। बांधों व नहर से हजारों लोग विस्थापित होंगे, खेत उज़ड़ेंगे, पेड़ कटेंगे, कई जलस्रोत नहर के मार्ग में आने से अस्त–व्यस्त होंगे।

केन नदी व नहर व्यवस्था से सिंचित हो रहे अनेक गांवों के लिए जल–संकट बढ़ जाएगा। बांधों के नीचे के गांवों में भी यही स्थिति होगी। जब पहले ही केन जल–व्यवस्था में नदी व नहरों में क्षेत्र की आवश्यकताओं की तुलना में पानी कम रहता है तो बहुत सा पानी नदी में से बाहर भेज देने पर क्या स्थिति होगी, इसके बारे में सोचा जा सकता है।

एक नदी का पानी दूसरी नदी के पानी में मिलने से अनेक जल–जीवों के लिए ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनका अनुमान पहले से लगाना कठिन है। इस लिंक योजना का बहाव बुंदेलखंड की अधिकांश नदियों के प्राकृतिक बहाव से अलग है व यह प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न करते हुए कभी बाढ़ तो कभी दलदलीकरण तो कभी सूखे की समस्याओं को और विकट कर सकती है।

पहले आईआईटी–कानपुर में प्राध्यापक और फिर मध्यप्रदेश शासन की ओर से 'विक्रम साराभाई फैलो' के रूप में सक्रिय रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. भारतेंदु प्रकाश ने बुंदेलखंड के जल संकट के समाधान पर विस्तृत अध्ययन किए हैं। उन्होंने भी यही संस्तुति की है कि 'केन–बेतवा लिंक परियोजना' को छोड़कर परंपरागत समृद्ध जल–संरक्षण कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाए। प्रो. ब्रज गोपाल ने भी इस संबंध में विस्तृत अध्ययनों के आधार पर ऐसी ही राय प्रकट की थी। पूर्व मंत्री व अर्थशास्त्री डा. वाई के अलघ और पूर्व सचिव, जल संसाधन, भात सरकार ने 'केन–बेतवा लिंक परियोजना' के विरोध में राय दी है। 'दक्षिण एशिया में नदियों व बांधों के नेटवर्क' 'सैन्ड्रप' ने इस परियोजना के अनेक संभावित दुष्परिणामों के विरुद्ध ध्यान दिलाया है।

केन–बेतवा को जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष जो हजारों करोड़ रुपयों का बजट है, उसे अगले कुछ वर्षों के लिए बुंदेलखंड के जल–संरक्षण के कार्यों और प्राकृतिक खेती व वनीकरण पर खर्च किया जाय तो हरे-भरे, टिकाऊ, आजीविका से मजबूत बुंदेलखंड हमारे देखते–देखते ही उभरने लगेगा। साथ में जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में इस संकट को कम करने व इससे बेहतर जूझ सकने की क्षमता भी विकसित हो सकेगी।

बुंदेलखंड में चंदेल व बुंदेल शासन–व्यवस्था के दौरान निर्मित तालाबों व अन्य जल–स्रोतों की समृद्ध परंपरा है। इसमें स्थानीय स्थितियों के अनुकूल जल–संरक्षण का उत्तम उदाहरण मिलता है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हाल के वर्षों में इन तालाबों की श्रृंखला से सीखने के प्रयास भी हुए हैं व इस कारण इनके महत्त्व के बारे में बेहतर समझ बनी है। इसके अतिरिक्त छोटे स्तर के जल–संरक्षण कार्यों से अनेक संस्थाओं ने भी अनुकरणीय उदाहण प्रस्तुत किए हैं। इनसे लाभान्वित अनेक किसानों ने बताया कि उनकी आजीविका सुधारने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

समझदारी इसी में है कि 'केन–बेतवा लिंक परियोजना' जैसी बाहरी तौर पर प्रचारित अति महत्त्वाकांक्षी, पर भीतर से खोखली परियोजनाओं को त्यागकर छोटे, स्थानीय स्तर के जल–संरक्षण कार्यों पर सरकार अधिक ध्यान दे। इस संदर्भ में 'केन–बेतवा लिंक परियोजना' का पूरी ईमानदारी से पुनर्मूल्यांकन इस समय निश्चय ही राष्ट्रीय हित में होगा व बहुत बड़ी धनराशि के निरर्थक व्यय को रोकने में इससे मदद मिलेगी। **(सप्रेस)**

हथकरघा बुनकरों की स्थिति : बद से बदतर

अशोक शरण

सात अगस्त, 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में आयोजित एक विराट सभा में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन 'बंग भंग' के विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरे भारत में चला। उनकी नीतियों की वजह से भारतीय हथकरघा उद्योग नष्ट हो गया था।

बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आरंभ हुए 'स्वदेशी आंदोलन' ने 1915 में गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद पुनः जोर पकड़ लिया था। गांव–गांव चरखा और हथकरघा चलने लगे थे। मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों को भारी नुकसान होने लगा था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। गांधीजी का मानना था कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश आत्म–निर्भर बनेगा।

> **सवाल मिलों या मशीनों के विरोध करने का नहीं है। सवाल यह है कि हमारे देश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है। मैं न तो देश में मशीनों के निर्माण के आंदोलन का विरोध करता हूं और न मशीनों में और अधिक सुधार करने का। मैं तो बस एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि ये मशीनें हैं किस मतलब की ? रस्किन के शब्दों में मैं पूछता हूं : क्या ये मशीनें ऐसी होंगी कि एक मिनट में लाखों व्यक्तियों को ध्वस्त कर दें या ऐसी होंगी कि बंजर भूमि को कृषि योग्य और उपजाऊ बना दें ?**
>
> **— महात्मा गांधी**
>
> **(14.09.1919 : यंग इंडिया)**

आजादी के बाद, 1950 में केंद्र सरकार ने कई हथकरघा उत्पादों को इसी क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया था जिसमें बॉर्डर साड़ी, धोती, बेडशीट आदि पारंपरिक उत्पाद शामिल थे, परंतु विकेंद्रित क्षेत्र में बिजली के करघे बढ़ने लगे थे जिससे हथकरघा के अच्छे उत्पाद की नकल होने लगी।

वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 'अशोक मेहता समिति' ने सुझाव दिया था कि साड़ियों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाए। उच्च अधिकार प्राप्त 'शिवरमन समिति' ने बताया कि प्रत्येक पावरलूम ने 6 हथकरघों को बेकार कर दिया था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुई है। हथकरघा से एक व्यक्ति पूरी उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए इसे कुटीर उद्योग का दर्जा दिया जाए। इन कमेटियों की सिफारिशों पर अंततः 'हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985' अस्तित्व में आया।

हथकरघा उद्योग का यह दुर्भाग्य रहा है कि विशेष प्रावधानों का लाभ हमेशा पावरलूम क्षेत्र द्वारा उठाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए 'हैंक्स यार्न अधिनियम' (कपड़ा/धागा मापने की इकाई) के तहत सभी कताई मिल अपने कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत हैं 'हैंक यार्न' के रूप में उत्पादन करेंगे। इसके लिए प्रदत्त सरकारी सब्सिडी का उपयोग पावरलूम उद्योग द्वारा किया गया। 1985 की 'कपड़ा नीति' से एक बात यह गढ़ी गई कि कपड़ा उत्पादन को बढ़ाया जाए। जिससे अधिक रोजगार सृजन हो।

इस नीति ने बुनकरों को सहकारी बुनकर या स्वतंत्र बुनकर से बदलकर ऐसे बुनकर में तब्दील कर दिया जो कम मजदूरी कमाने और मोटे कपड़े बनाने वाला या बढ़िया कपड़ा बुन कर अधिक मजदूरी कमाने वाला हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि मोटा कपड़ा बनाने वाले बुनकर या तो पावरलूम में स्थानांतरित हो जाने चाहिए या पेशे से बाहर हो जाने चाहिए। इसमें बाजार का खेल स्पष्ट झलकता है जो मानता है कि बेहतर मजदूरी वाला बुनकर जीवित रहेगा, जबकि अन्य को पलायन करना होगा।

विकास आयुक्त, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित

सर्वेक्षण से मालूम होता है कि 1970 के दशक में बुनकर परिवारों की संख्या 1.24 करोड़ से घटकर 1995 में 64 लाख हो गई। यह 2010 में और भी घटकर 44 लाख हो गई। चौथी हैंडलूम जनगणना के अनुसार ऐसे परिवारों की संख्या और कम होकर 31.5 लाख रह गयी। इसके पीछे राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी तो थी ही, साथ ही ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के उपायों के प्रति उदासीनता भी अपनाई गई। नीतिगत विषयों पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया, जैसे–हथकरघा उत्पादों की नकल बिजली के करघे द्वारा की जाती रही। 'हैंडलूम मार्क' पावरलूम और हैंडलूम के अंतर को स्थापित नहीं कर पाया।

इसी प्रकार 2013 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून 'खादी मार्क हैंडलूम' और खादी में अंतर स्थापित नहीं कर पाया। पावरलूम ने जिस प्रकार हैंडलूम को नुकसान पहुंचाया उसी प्रकार हैंडलूम ने खादी को नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार राज्य प्रायोजित प्रदर्शनियों में हैंडलूम से ज्यादा पावरलूम उत्पादों का बाहुल्य होता है। यही हाल 'खादी ग्रामोद्योग आयोग' द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनियों का है, जहां खादी के साथ हैंडलूम उत्पादों और सौर ऊर्जा वस्त्र, 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के अंतर्गत पावरलूम/हैंडलूम से बने रेडीमेड प्रदर्शित किए जाते हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों, जैसे – उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, बंगाल, झारखण्ड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में विशाल हथकरघा क्लस्टर बनाये जायेंगे। सूत खरीदने के लिए 10 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, मिल–दर पर सूत आपूर्ति की जाएगी। 'बुनकर मुद्रा स्कीम' के अंतर्गत टर्म–लोन और कार्यशील पूंजी के लिए केवल 6 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि उपलब्ध करवायी जाएगी, सुरक्षा और कल्याणकारी योजना के अंतर्गत बुनकरों का जीवन बीमा करवाया जायेगा। यदि उनके बच्चे किसी टेक्सटाइल इंस्टिट्यूट में दाखिला लेते हैं तो उन्हें दो लाख रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

कब्र से भी अपनी बात सुनाता रहूंगा

सुबह के प्रहर में सूर्यनारायण
अपना उद्धार करते हैं।
योगारूढ़ होकर आते हैं!
और संध्या के समय शांत होते हैं!
क्या सूर्य सचमुच शांत होता है ?
मैं मरुंगा तब भी
थोड़े ही शांत होने वाला हूं !
मेरी श्रद्धा की ज़्योति
जैसे की तैसी चमकती रहेगी।
मुझे आशा है कि
मैं अकेला रह जाऊं, तो भी
वह चमकती रहेगी।
तब तक कब्र में पड़े हुए भी
मैं जिंदा रहूंगा।
और विशेष तो यह कि
मैं बोलता भी रहूंगा।
मैं मरने के बाद भी
अपनी श्रद्धा की
घोषणा करता रहूंगा।
और कब्र में से भी
अपनी बात सुनाता रहूंगा।

– महात्मा गांधी
('हरिजन' 17 अगस्त, 1947)

इतना सब होने के बाद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बुनकर परिवारों की संख्या 1970 के दशक में जहां 1.24 करोड़ थी, वह 2020 आते–आते 31.5 लाख रह गई। इसके बावजूद भारत के कुल कपड़ा उत्पादन में हाथकरघे का लगभग 15 प्रतिशत योगदान है जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने वाला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उद्योग है। पावरलूम और कपड़ा मिलों की लाबी और पूंजीवादी व्यवस्था से दबे ये बुनकर आज शहरों की मलिन बस्तियों में पलायन करने के लिए मज़बूर हैं।

मंत्री की कलम से

गांधी वाटिका : जयपुर (राजस्थान)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति को अक्षुण बनाये रखन हेतु राजस्थान सरकार ने जयपुर में **गांधी वाटिका** का निर्माण किया। गांधी वाटिका के उद्घाटन के अवसर पर 21 से 23 सितम्बर तक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। वाटिका निर्माण हेतु सरकार द्वारा 11 सदस्यीय समिति का गठन पहले ही कर लिया गया था, जिसमें गांधी विचारक भी शामिल रहे। गांधी वाटिका में गांधी म्यूजियम का निर्माण किया गया है। इस निर्माण में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत की अहम भूमिका है। उनकी कल्पनाशीलता तथा गहरी सोच और मार्ग–दर्शन से यह अभिनव गांधी म्यूजियम जीवंत लगता है। उनकी ही प्रेरणा रही कि सरकारी निर्माण में भी शांति, सादगी और संयम इस वाटिका के निर्माण का आधार रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इच्छाशक्ति और लगन के कारण बहुत ही कम समय में काम पूरा हुआ। सम्पूर्ण क्षेत्र का निर्माण 14,500 वर्ग मीटर में हुआ है।

म्यूजियम के तीन महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं। पहली मंजिल पर अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास तक को दर्शाया गया है जिसमें पांच खंड हैं। पहला वैभव की रोशनी, गुलामी का अंधेरा, दूसरा आजादी की आहट, तीसरा 1857 की बगावत और घबराए अंग्रेज, चौथा गांधी : एक बड़े आदमी की छोटी सी कहानी, पांचवां दक्षिण अफ्रीका : गांधी के अनुभव और आंतरिक परिवर्तन।

दूसरी मंजिल गांधीजी के अंग्रेजों के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता आन्दोलनों और उनके दर्शन को दर्शाया गया है। इसमें भी पांच खंड हैं। पहला स्वदेश आगमन, दूसरा गांधीमय हुआ देश, तीसरा 1942 : अंग्रेजों भारत छोड़ो, चौथा भारत को चुनौती देती साम्प्रदायिक ताकतें, पांचवां आखिरी दिन, आखिरी प्रयोग।

तीसरी मंजिल पर पुस्तकालय, सेमिनार हाल आदि हैं। इसमें तीन खंड हैं – पहला राजस्थान ने पकड़ी गांधी की राह, दूसरा गांधी : अपने आईने में, तीसरा गांधी के सपनों का संसार। भवन को बनाते समय मिट्टी की दीवारें खास तौर पर तैयार की गई हैं। इसमें सादगी और पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखा गया है।

इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर रात्रि भोज का आयोजन भी किया था।

भवन के उद्घाटन पर आयोजित सेमिनार – **गांधी की जरूरत क्यों ?** – में रामचन्द्र राही, कुमार प्रशान्त, अमरनाथ भाई, प्रकाश भाई शाह, अनामिक शाह, श्री डी. आर. मेहता, प्रो. आनंद कुमार, तुषार गांधी, सुजाता चौधरी, अनिल त्रिवेदी, सवाई सिंह, चन्दन पाल, ए. अण्णामलाई, सेंदिल कुमार, कृष्णा मोहंती, मनोरंजन मोहंती, संजय सिंह, विश्वजीत राय, जागृति राही, अशोक शरण, अशोक कुमार, जानकी बहन, मन्दा बहन पारीख, दीपक मालवीय, लाल बहादुर राय, प्रेरणा देसाई, भरत भाई शाह, पुष्पेन्द्र दुबे, राकेश पाठक, फैजल खान, ओ. पी. शाह सहित 200 गांधीजन शामिल रहे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद तथा भारत जोड़ो यात्रा के नायक राहुल गांधी, राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी, सचिन पायलट, मोहन प्रकाश संवाद कार्यक्रम में शामिल रहे।

संवाद कार्यक्रम के अंतिम सत्र में कुमार प्रशांत के संचालन में राहुल गांधी ने दिल खोलकर बात की।

इस म्यूजियम का निर्माण ऐसे समय पर हुआ जब देश ही नहीं दुनिया को गांधी–विचार की जरूरत है। खासकर भारत में लोकतंत्र को लेकर स्थिति शर्मनाक है। आम नागरिक, देश के प्रमुख संस्थानों की आजादी छिन गई है। डर का वातावरण निर्माण किया जा रहा है। साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर सत्ता हासिल करना तथा लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। संकट के इस समय में नई पीढ़ी को नई तकनीक के आधार पर निर्मित यह म्यूजियम गांधी से रूबरू कराता है। एक जीवंतता और रचनात्मकता का अनूठा संगम यह केन्द्र गांधी के स्वराज्य के दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए नई चुनौती का सामना करने का साहस और हिम्मत जुटाता है। म्यूजियम के प्रारंभ में ही रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना और चित्र है – **हे मोर चित्त, पुण्य तीर्थे जागो रे धीरे, एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे** के साथ और भारतमाता के असली स्वरूप को प्रकट किया गया है। विश्व बंधुत्व, भातृत्व और प्रेम के संदेश से सराबोर है। नफरत के बाजार में यह केन्द्र मोहब्बत की दुकान है। *– संजय सिंह*

गांधी–वाटिका

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के गांधी दर्शन और राजस्थान सरकार की पहल से महात्मा गांधी की स्मृति में राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अभिनव निर्माण हुआ है। नाम रखा गया है; 'गांधी–वाटिका'। राज्य सरकार की 2021–22 बजट घोषणा के तहत, जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसका निर्माण किया है। इस कार्य पर लगभग 85.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

❖ **गांधी–वाटिका** में गांधी दर्शन को उतारने के लिए राजस्थान सरकार ने गांधी–विचारकों की एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसके मार्गदर्शन में, गहन शोध के साथ इसकी विषय–वस्तु तैयार की गई है।

❖ इस विषय–वस्तु के आधार पर भवन का नक्शा बनाया गया। विभिन्न स्थानीय साधनों के इस्तेमाल से गांधी–वाटिका को इस तरह आकार दिया गया है, कि इससे हमारे सैंट्रल पार्क के पर्यावरण की श्री वृद्धि हो। सादगी, शांति और संयम इस वाटिका का आधार है।

❖ डिजिटल एवं नवीन तकनीक पर आधारित गांधी–वाटिका के तीन हिस्से महत्वपूर्ण हैं। पहला हिस्सा (तल मंजिल) पर है जिसमें अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास तक को अंकित किया गया है। इसे पांच खंडों में बांटा गया है :

1. वैभव की रोशनी–गुलामी का अंधेरा
2. आजादी की आहट
3. 1857 की बगावत और घबराए अंग्रेज
4. गांधी : एक बड़े आदमी की छोटी सी कहानी
5. दक्षिण अफ्रीका : गांधी के अनुभव और उनका आंतरिक परिवर्तन

❖ दूसरा खंड बीच के माले पर है, जहां गांधीजी के भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों और उनके दर्शन को समेटा गया है। इसे पांच खंडों में बांटा गया है :

1. स्वदेश आगमन
2. गांधीमय हुआ देश
3. 1942 : अंग्रेजों भारत छोड़ो
4. भारत को चुनौती देती सांप्रदायिक ताकतें
5. आखिरी दिन : आखिरी प्रयोग

❖ तीसरा खंड ऊपरी माले पर है, जिसमें आपको एक विशेष पुस्तकालय, सेमीनार हॉल और एक कॉन्फ्रेस कक्ष मिलेगा। जिसे तीन खंडों में बांटा गया है :

1. राजस्थान ने पकड़ी गांधी की राह
2. गांधी : अपने आईने में मैं
3. गांधीजी के सपनों का संसार

❖ भवन को बनाते समय मिट्टी की दीवारें ....खास तौर पर तैयार की गई हैं। इससे भवन की सादगी और पर्यावरण की हरियाली व संतुलन को बल मिला है।

❖ वाटिका की सुंदर हरियाली को चौरफा बढ़ावा देने के लिए लगभग 14 हजार पेड़–पौधे लगाए गए हैं।

❖ इस परियोजना को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए विभिन्न चरणों में खुली निविदा प्रक्रिया से, एजेंसियों के बीच समन्वय साध कर निर्माण और परियोजना तालमेल द्वारा इतनी विशाल परियोजना को रिकार्ड टाइम पर पूरा किया गया है।

❖ वाटिका की केलू की छत और इसके भवन की ऊंचाई ऐसी है जो हमारे सेंट्रल पार्क की प्रवृत्ति से एकदम मिल जाती है और उसकी सुंदरता को बढ़ाती है।

❖ वाटिका के भीतर आपको इसके प्रशासकीय खंड के अलावा दो प्रदर्शन–कक्ष, मध्यवर्ती हरा मैदान, एक गांधी–पुस्तकालय, कैफेटेरिया, खुला नाट्य–मंच, खुला बड़ा मंच, विमर्श कक्ष आदि सुविधाएं मिलेंगी जहां सभी तरह के लोग अपनी जरूरत के मुताबिक आ सकेंगे।

❖ वाटिका–क्षेत्र का निर्माण 14500 वर्गमीटर में हुआ है। वाटिका का अपना क्षेत्रफल लगभग 7560 वर्गमीटर है।

❖ 100 प्रतिशत पावर बैकअप के साथ, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए यह भवन तैयार किया गया है।

— गांधी–वाटिका

सेन्ट्रल पार्क, टोंक रोड, जयपुर

राजस्थान सरकार का सराहनीय प्रयास

राजस्थान की वर्तमान सरकार द्वारा शुरु किया गया **महात्मा गांधी प्रशासकीय एवं समाज विज्ञान संस्थान** एक नई लकीर खींचने की कोशिश है। यह जयपुर में अनायास ही नहीं बन गया है। यह बना इसलिए है कि यह समय की मांग है कि गांधीजी को हमारी स्वतंत्रता के जनक राष्ट्रपिता की जानी पहचानी छवि से बाहर भी देखा समझा जाए। यह जानने की कोशिश की जाए, इस दिशा में गंभीर शोध हों कि लोकतांत्रिक प्रशासन की गांधी की परिकल्पना क्या थी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में उनका मौलिक अवदान क्या था ? आखिर क्या राज है कि वे दिनों दिन दुनिया में अधिकाधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं जबकि दुनिया के सारे प्रवाह उनकी मान्यताओं के विरुद्ध जा रहे हैं। यह संस्थान गांधीजी के इस रहस्य को खोजने, जांचने व इसे अपने पाठ्यक्रम् के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम करेगा, तभी इसकी सार्थकता साबित होगी।

यह अपनी तरह का देश का पहला संस्थान है जिसकी कोशिश राजस्थान के शासन–प्रशासन के सभी श्रेणी के लोगों को, शिक्षा–जगत से जुड़े सभी तरह के लोगों को गांधी–विचार से इतना परिचित कराने को है कि वह उनके व्यवहार में भी उतरे। यह सब संभव इसलिए हुआ है कि राजस्थान में श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। गांधी के प्रति उनका आकर्षण इतना लंबा व गहरा रहा है कि उसकी प्रतिछाया राज्य व प्रशासन पर दिखाई देती है। राजनीति व सत्ता की मर्यादाओं के भीतर गांधी की दिशा में ऐसा व इस तरह चलने वाला दूसरा कोई राजनेता देश में नहीं है, इसलिए ऐसा कोई दूसरा संस्थान भी देश में नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि संस्थान के वर्तमान निदेशक व दूसरे सहकर्मी संस्थान के इस संदर्भ को समझेंगे और इसे साकार करने में कुछ भी उठा नहीं रखेंगे।

– कुमार प्रशांत

अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान

श्रद्धांजलि

भाऊ साहब झीटे का देहावसान

आंतरभारती आश्रम, दाभा, नागपुर के संस्थापक, महात्मा गांधी, विनोबा, साने गुरुजी, संत तुकडोजी महाराज के विचारों से प्रेरित अत्यंत विनम्र **भाऊसाहब झीटे** का **94** वर्ष की उम्र में **दिनांक 12 सितम्बर, 2023** की सुबह 5.00 बजे देहांत हो गया। श्रद्धेय भाऊ ने नागपुर में होमियोपैथी कॉलेज की स्थापना की थी और सैकड़ों युवकों को होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति से पीड़ितों की, करुणा और प्रेम भाव से, सेवा करने के लिए उत्प्रेरित किया था।

भाऊ साहब झीटे विशाल गांधी विचार–परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे। उनके देहावसान से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति कठिन है।

मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

– अविनाश काकड़े,
सेवाग्राम

दीपांकर श्रीज्ञान नहीं रहे

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दीपांकर श्रीज्ञान का गत् **दिनांक 23 सितम्बर, 2023** की सुबह 8.30 बजे निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ थे और एम्स–दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था।

दीपांकर श्रीज्ञान गांधी–दर्शन के अध्येता थे और निष्ठापूर्वक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यह दुःखद है कि ऐसे निष्ठावान निदेशक को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के दायित्व से असामयिक ही मुक्ति लेनी पड़ी थी।

गांधी स्मारक निधि की ओर से दिवंगतों को हार्दिक श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को चिर–शान्ति प्रदान करे। उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी आंतरिक संवेदना!

– सं.

प्रकाशन तिथि 28/09/2023
Delhi Postal Regd. No. DL (C)-05/1423/2022-2024
R.No.21841/1971 Posted at L.P.C.- Delhi. R.M.S.Delhi-6 on 1st, 2nd October, 2023
संस्थाकुल, अक्टूबर, 2023

गांव के राष्ट्रशिल्पी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी द्वारा सन् 1920 में स्थापित गुजरात विद्यापीठ के 'ग्रामशिल्पी' कार्यक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार नीलम गुप्ता द्वारा लिखित 'गांव के राष्ट्रशिल्पी' पुस्तक पढ़ने का मौका मिला। सन् 2007 में गुजरात विद्यापीठ ग्रामशिल्पी कार्यक्रम द्वारा गांधी के रचनात्मक कार्य व मूल्यों को गांव में रहकर आजीवन ग्राम सेवा के संकल्प के साथ गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों को गांव–निर्माण के शिल्पी बनने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में यह प्रयोग बेहद रोचक है, खासकर जब गांव सरकार, मीडिया, और समाज के एक बड़े तबके की निराशा, अवहेलना और शोषण के शिकार हैं। इस जटिल परिस्थिति में विद्यापीठ के कुछ विद्यार्थी अपने गांव में रहकर गांव के सर्वांगीण विकास का काम करने के सपने देखते हैं, उसको साकार करने का साहस जुटाते हैं, और पुनः अपने गांव से, जड़ से जुड़ने का एक रचनात्मक प्रयास करते हैं।

गुजरात विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित इस 387 पृष्ठों की पुस्तक में नीलम गुप्ता ने बड़ी सहजता के साथ इस प्रयोग के लगभग 14 सालों का लेखा–जोखा; संघर्ष की कहानी प्रस्तुत की है। बहुत ही निरपेक्षभाव से विश्लेषण भी किया है। विद्यापीठ की पूर्व कुलपति स्व. इलाभट्ट ने ग्रामशिल्पी से यह उम्मीद की थी कि "हमारा ग्रामशिल्पी मॉडल लोकतांत्रिक है, स्थानिक, संपोषक, समुल्लासी है। एक के भोग पर दूसरे का विकास हो, ऐसा इसमें हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि 'जन–गण' के विकास का यही मॉडल है। ऐसे ग्रामशिल्पी देश को नेतृत्व देकर और प्रजा को ऊपर उठा, विकास व शांति का मार्ग बना सकते हैं।" इस कार्यक्रम को गुजरात विद्यापीठ ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। विद्यापीठ के आंगन में इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदर्शित की गयी है। पूर्व कुलनायक सुदर्शन आयंगारजी का कहना है कि गांव शिल्पी ने गांव में छुपी हुई संभावनाओं को उभारकर समग्र मानवता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लेकर कार्य करने का व्रत लिया है।

आज जब गांव खाली हो रहे हैं, युवा गांव में रहना ही नहीं चाहते हैं, पलायन हो रहा है, आजीविका का कोई साधन नहीं रह गया, खेती–पशुपालन घाटे में है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में गुजरात के कुछ गांवों में ग्रामशिल्पी का प्रयोग अनूठा है। एक उम्मीद भी जगाता है। गांधीवादी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों में गांव को प्राथमिकता प्रारंभ से ही दिया गया, अनेकों प्रयोग हुए, जिस कारण गांव आज भी टिके हुए हैं, गांव का अस्तित्व कामय है। फिर भी भूमंडलीकरण के इस दौर में गांव की स्थिति जर्जर हो गयी है।

इस पुस्तक में गुजरात के आठ ग्रामशिल्पियों के संघर्ष, सोच, उद्यम, प्रयोग, रचना की कहानी है। वहीं जात–पात की उलझन में फंसे उत्तर प्रदेश के एक गांव में बेहद जटिल परिस्थिति में काम करने वाले ग्रामशिल्पी राधाकृष्ण शर्मा की कहानी है। गांव के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के कई गांधीवादी प्रयोगों एवं नवाचार का विस्तृत ब्यौरा भी इस पुस्तक में मौजूद है। नीलम गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखने के लिये गुजरात, उ. प्र. में लंबे प्रवास किये हैं। गांवों का भ्रमण किया है। अपने पूरे अनुभव का उपयोग इस पुस्तक को लिखने में किया है। यह पुस्तक ग्रामीण विकास, गांव स्वावलम्बन की दिशा में कार्य करने वाली संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, नीति निर्धारकों या गांवों में काम करने के उत्साही युवाओं को साहस प्रदान करेगी तथा उनके लिए उपयोगी भी होगी।

पुस्तक का नाम	– **गांव के राष्ट्रशिल्पी**
लेखिका	– **नीलम गुप्ता**
प्रकाशक	– **गुजरात विद्यापीठ,** आश्रम रोड, अहमदाबाद
कीमत	– 400 रुपये

– संजय सिंह

स्वामी गांधी स्मारक निधि के लिए राजघाट, नई दिल्ली–110002 से संजय सिंह, गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित व मुद्रित
जैन ऑफसेट प्रिंटर्स, 198/2–1, फारचुन टावर, रमेश मार्केट, नई दिल्ली–110065
सम्पादक – रामचन्द्र राही